



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052025-262952
CG-DL-E-07052025-262952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2025/वैशाख 17, 1947

No. 251]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2025/VAISAKHA 17, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2025

सं. 45/2025


सा.का.नि. 294(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2025 को प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट -II में,

(क) प्ररूप आईटीआर-V के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप आईटीआर- V	भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन प्ररूप [जहां आयकर विवरणी के डाटा प्ररूप आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल की गई है, किंतु इलैक्ट्रानिक रूप में सत्यापित नहीं की गई है] (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)		निर्धारण वर्ष 2025-26
नाम			
पैन		प्ररूप संख्या	
धारा ... के अधीन फाइल की गई ।		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
सत्यापन			
<p>मैं , का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं मेरे सर्वोत्तम विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना जिसे मेरे द्वारा पावती संख्या... द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सत्य और पूर्ण है तथा वह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।</p> <p>मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं इस विवरणी को मैं ... अपनी क्षमता के रूप में बना रहा/रही हूं और मैं इस विवरणी को बनाने तथा इसे सत्यापित करने में सक्षम भी हूं। मेरा स्थाई खाता संख्या(पैन) है।</p>			
हस्ताक्षर			
प्रस्तुत करने की तारीख		स्रोत आई.पी पता	
सिस्टम सृजित वार कोड/क्यूआर कोड			
<p>अनुदेश:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कृपया आप आधार ओटीपी का उपयोग करके नेट बैंकिंग लॉगिन के माध्यम से ई-फाइलिंग अकाउंट के लॉगिन या पूर्व में विधिमान्य किए गए बैंक खाते/डीमेट अकाउंट का उपयोग करके ई.वी.सी सृजित या बैंक एटीएम के माध्यम से सृजित ई.वी.सी. का उपयोग करके इलैक्ट्रानिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित करें। अनुकल्पतः, सम्यक रूप से विधिवत हस्ताक्षरित (नीली स्याही में अधिमानतः) प्ररूप आई.टी.आर-V को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा “केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरु-560500” को भेज सकेंगे। 2. प्ररूप आईटीआर-V आय-कर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में या किसी अन्य रीति से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस प्ररूप आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग अकाउंट में रजिस्ट्रीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी। 3. सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी फाइल करने की पावती को आय विवरणी फाइल करने की प्रक्रिया के पूरा होने के सबूत के रूप में ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। 4. हस्ताक्षर के लिए उपबंधित खाने में ही कृपया हस्ताक्षर करें। आईटीआर-V में दिए गए खाने से भिन्न कहीं और हस्ताक्षर करना अविधिमान्य है। 5. जहां आईटीआर डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाता है और आईटीआर-V को डाटा के पारेषण से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषण करने की तारीख को आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख के रूप में समझा जाएगा। 6. जहां आईटीआर डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाता है किंतु आईटीआर-V को डाटा पारेषण करने की तीस दिन की समय-सीमा से परे प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में आईटीआर-V को प्रस्तुत करने की तारीख को आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख के रूप में समझा जाएगा और अधिनियम के अधीन विवरणी विलंब से प्रस्तुत करने परिणाम लागू होंगे।”; 			

(ख (आईटीआर प्ररूप पावती के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा-, अर्थात:-

<p align="center">“भारतीय आयकर विवरणी पावती</p> <p align="center">[जहां आयकर विवरणी का डाटा प्ररूप आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल किया गया है, और सत्यापित किया गया है]</p> <p align="center">(कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)</p>			<p align="center">निर्धारण वर्ष</p> <p align="center">2025-26</p>	
पैन				
नाम				
पता				
प्रास्थिति		प्ररूप संख्या		
धारा... के अधीन फाइल किया गया		ई-फाइलिंग पावती संख्या		
कराधेय आय और कर ब्यौरे	वर्तमान वर्ष कारबार हानि, यदि कोई हो	1		
	कुल आय			
	मैट के अधीन बही लाभ, जहां लागू हो	2		
	एएमटी के अधीन समायोजित कुल आय, जहां लागू हो	3		
	संदेय शुद्ध कर	4		
	संदेय ब्याज और फीस	5		
	संदेय कुल कर ब्याज और फीस	6		
	संदत्त कर	7		
	(+)संदेय कर /(-) प्रतिदेय (6-7)	8		
समवर्धित आय और कर ब्यौरे	धारा 115नघ के अधीन वर्धित आय	9		
	धारा 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त कर	10		
	धारा 115नड के अधीन संदेय ब्याज	11		
	संदेय अतिरिक्त कर और ब्याज	12		

	संदत्त कर और ब्याज	13	
	(+)संदेय कर /(-) प्रतिदेय (12-13)	14	
तारीख कोआईटी पते से इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित आयकर विवरणी द्वारा सत्यापित की गई.....पैन रखने वाले.....को..... *पेपर आईटीआर सत्यापन प्ररूप / इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड का उपयोग करकेपद्धति के माध्यम से सृजित किया गया।			
सिस्टम सृजित बार कोड/क्यू आर कोड			

*जो लागू न हों, उसे काट दें

इस पावती को सी.पी.सी.बैंगलूरु को नहीं भेजे।

[फा. सं. 370142/21/2025-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.कानि. 290(अ), तारीख 06 मई, 2025 द्वारा किया गया।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2025


No. 45/2025

G.S.R. 294(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Seventeenth Amendment) Rules, 2025.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2025.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II,—

(a) for FORM ITR-V, the following FORM shall be substituted, namely: —

“FORM ITR-V	<u>INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM</u> [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-7 filed but NOT verified electronically] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)		Assessment Year 2025-26
Name			
PAN		Form Number	
Filed u/s		e-Filing Acknowledgement Number	
VERIFICATION			
I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return which has been submitted by me vide acknowledgement number is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____.			
Signature 			
Date of submission		Source IP address	
System Generated Barcode/QR Code			
Instructions: <ol style="list-style-type: none"> 1. Please e- verify the electronically transmitted return data using Aadhaar OTP or Login to e-Filing account through Net-Banking login or EVC generated using Pre-Validated Bank Account/ Demat Account or EVC generated through Bank ATM. Alternately, you may send the duly signed (preferably in blue ink) Form ITR-V to “Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500”, by SPEED POST ONLY. 2. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail Id registered in the e-filing account. 3. On successful verification, the return filing acknowledgement can be downloaded from e-Filing portal as a proof of completion of process of filing the return of Income. 4. Please sign only in the box provided for signature. Signature anywhere else other than the box provided can render the ITR-V invalid. 5. Where ITR data is electronically transmitted and ITR-V is submitted within 30 days of transmission of data - in such cases the date of transmitting the data electronically shall be considered as the date of furnishing the return of income. 6. Where ITR data is electronically transmitted but ITR-V is submitted beyond the time-limit of 30 days of transmission of data - in such cases the date of ITR-V submission shall be treated as the date of furnishing the return of income and all consequences of late filing of return under the Act shall follow.”; 			

(b) for FORM ITR- Ack, the following FORM shall, be substituted, namely: —

“INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)			Assessment Year 2025-26
PAN			
Name			
Address			
Status	Form Number		
Filed u/s	e-Filing Acknowledgement Number		
Taxable Income and Tax details	Current Year business loss, if any	1	
	Total Income	1A	
	Book Profit under MAT, where applicable	2	
	Adjusted Total Income under AMT, where applicable	3	
	Net tax payable	4	
	Interest and Fee Payable	5	
	Total tax, interest and Fee payable	6	
	Taxes Paid	7	
Accreted Income and Tax Detail	(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)	8	
	Accreted Income as per section 115TD	9	
	Additional Tax payable u/s 115TD	10	
	Interest payable u/s 115TE	11	
	Additional Tax and interest payable	12	
	Tax and interest paid	13	
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (12-13)	14	
Income Tax Return electronically transmitted on DD-MM-YYYY 00:00:00 from IP address _____ and verified by _____ having PAN _____ on _____ using *paper ITR-Verification Form / Electronic Verification Code _____ generated through _____ mode			
System Generated Barcode/QR Code			

**Strike off whichever is not applicable*

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU”.

[F. No. 370142/21/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification GSR 290(E), dated the 06 May, 2025.

Explanatory Memorandum- It is hereby certified that no person shall be adversely affected by giving retrospective effect to these rules.